न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—231/2019/225 (2019/00231)

1. गफार पुत्र फूले खां, जाति मुसलमान कायमखानी, निवासी टेम्पों स्टेण्ड लोहाखान अजमेर, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हीरा,
2. रंगलाल पुत्र हीरा,
3. श्रीमती रूकमा पुत्री हीरा,
4. श्रवण पुत्र नानू,
5. नर्बदा पुत्री छोटू,
6. मुन्नी पुत्री छोटू,
7. नाथू पुत्र मोती,
8. फूली पुत्री मोती,
9. श्रीमती चूंका पत्नि भंवरलाल,
10. शंकर पुत्र भंवरलाल,
11. महेन्द्र पुत्र भंवरलाल,
12. कमल पुत्र भंवरलाल,
13. सुनील पुत्र भंवरलाल,
14. सुमित्रा पुत्री भंवरलाल,
15. लता पुत्री भंवरलाल,
16. सुशीला पुत्री भंवरलाल,

    समस्त जाति भांबी निवासी ग्राम कायड़, तह0 व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

17. श्रीमती नजमा पत्नि फूले खां,
18. भूरे खां पुत्र फूले खां,
19. इस्लाम बानो पुत्री फूले खां,
20. श्रीमती रहमति पत्नि छीतर खां,
21. रजिया पुत्री छीतर खां,
22. फरीदा पुत्री छीतर खां,
23. नसीम पुत्री छीतर खां,
24. जन्नत पुत्री छीतर खां,
25. सना पुत्री छीतर खां,
26. सलमा पुत्री छीतर खां,
27. मुंशी खां पुत्र छीतर खां,
28. असमल खां पुत्र छीतर खां,
29. मांगू खां उर्फ मांगीलाल पुत्र बादुल खां,
30. केसर पुत्री बादुल खां,

    समस्त जाति मुसलमान कायमखानी, नि0 ग्राम कायड़, तहसील व जिला अजमर ।
31. श्रीमती आमना पत्नि बद्रूद्दीन मोयल, जाति देशवाली, नि0 कायड़, तह. व जिला अजमेर ।

32. कयूम खां पुत्र बशीर खान, जाति मुसलमान, नि0 मौहल्ला कारीगरान वार्ड नंबर 20, सीकर, तह0 व जिला सीकर ।
33. उप पंजीयक, अजमेर ।
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

तरतीबी रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर दिनांक 27.6.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 34/2018.

उपस्थितः—

1. श्री शहाबुद्दीन खान, वकील अपीलांट ।
2. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 8.
3. श्री ओमप्रकाश भट्ट, वकील प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 17, 19, 20 से 28,
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 33 व 34.

निर्णय

दिनांकः— 17.9.2019

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर के आदेश दिनांक 27.6.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांट के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत् उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इंद्राज, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर निवेदन किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधिव0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित आराजियात ग्राम कायड़, तहसील व जिला अजमेर बाबत् प्रतिवादीगण को ताफैसला वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण/रेस्पो0 के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करे, आज ीपर जबरन कब्जा नहीं करे तथा आराजी को रहवन, बय व मुन्तकिल नहीं करे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 27.6.2019 को वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणा की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलांट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 1017 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी के सन् फसली 1349 अजमेर मेरवाडा स्टेट यानि सन् 1951 के हाल खसरा नंबर 1126 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जिसके आधार नंबर 455 रकबा 0.10 है0, 456 रकबा 0.10 है0,

457 रकबा 0.22 है0, 458 रकबा 0.15 है0, व हाल खसरा नंबर 1127 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा के आधार नंबर 455 रकबा 0.30 है0, 456 रकबा 0.32 है0 व हाल खसरा नंबर 1128 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी के आधार नंबर 458 रकबा 0.67 है0 भूमि अपीलांट के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उपरोक्त साबिक खसरा नंबर 1017 खतौनी जमाबंदी में अकेले अप्रार्थी धन्ना व बादुल पुत्र आजम खां के नाम खातेदारी काश्तकारी में दर्ज रही है अर्थात् खसरा गिरदावरी व जमाबंदी में अप्रार्थी के पूर्वज के नाम दर्ज थी । सन् 1955 राज0काश्त0अधि0 प्रभाव में आने से पूर्व ही अप्रार्थी खातेदार स्वतः ही खातेदार हो चुका था तब से आज दिवस तक अप्रार्थी/अपीलांट के नाम दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 8 का का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर गोर नहीं किया कि अप्रार्थी/अपीलांट विवादित आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 1202, आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 123 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये । अधी0न्याया0 ने धारा 212 में प्रावधित प्रावधानों का विवेचन, विश्लेषण नहीं कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तीनों घटक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथान अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलांट के पक्ष में साबित होने के बावजूद अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 654 का न्यायिक दृष्टांत पेश कर निवेदन किया कि रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में ही स्थगन आदेश जारी किया जा सकता है । बिना कब्जे के अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1991 पेज 231, आर0आर0टी0 3024 पेज 223, आर0आर0टी0 2018 पेज 405, आर0आर0डी0 2015 पेज 368, आर0आर0टी0 2012 पेज 693, आर0आर0टी0 2018 पेज 1524 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पूर्वत मोती, नानू व हीरा पुत्रान मंगतू की सहखातेदारी, सहकाश्तकारी की आराजियात ग्राम कायड़ क`खसरा नंबर साबिक 1017 रकबा 11–8–10 के वर्किंग खसरा नंबर 1126 रकबा 3–9–00 के आराजी खसरा नंबर 455 रकबा 0.10 है0 व 456 रकबा 0.10 है0 एवं 457 रकबा 0.22 है0 तथा खसरा नंबर 458 रकबा 0.15 है0 तथा वर्किंग खसरा नंबर 1127 रकबा 3–17–00 आराजी खसरा नंबर 455 रकबा 0. 30 है0व 456 रकबा 0.32 है0 तथा वर्किंग खसरा नंबर 1128 रकबा 4–2–10 के आराजी खसरा नंबर 458 रकबा 0.67 है0 आराजियात खतौनी जमाबंदी सन् फसली 1359 के अनुसार वादीगण व प्रफोर्मा प्रविवादीगण के पूर्वज मोती, नानू व हीरा पुत्रान मंगतू जाति भांबी बहैसियत 1/2 हिस्सा सहखातेदार दर्ज है तथा 1/2 हिस्से के धन्ने खां, बादुल खां पुत्रान आजम खां जाति कायमखानी सहखातेदार है तथा इसी प्रकार काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त प्रविष्टि संवत् 2015 से 2018 तथा संवत् 2023 से 2026 में भी यथावत् दर्ज है । इस प्रकार वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1/2 हिस्सा भूमि पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 जो कि धन्ने खां पत्र आजम खां के वारिसान 1/4 हिस्सा भूमि पर तथा अप्रार्थी संख्या 14 से 15 जो बादुल खां पुत्र अजीम खां के वारिसान है जो 1/4 हिस्सा भूमि पर

लगाार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बंदोबस्त विभाग के द्वारा अंतिम चौसाला जमाबदी के बाद तैयार जमाबंदी में सक्षम न्यायालय के आदेश व रहन, बेचान, मुंतकिल किये बिना वादग्रस्त आरायिजात तन्हा रूप से धन्ने खां पुत्र अजीम खां के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जबकि वादग्रस्त आराजियात में धन्ने खां का 1/4 हिस्सा तथा बादुल खां तथा वादीगण एवं प्रफोमा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । इंद्राज परिवर्तन का अधिकार बंदोबस्त विभाग को नहीं था । इस त्रुटिपूर्ण इद्राज का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है । यदि वाद के विचाराधीन रहते विवादित आरायिजात का बेचान हो जाता है तो वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जाता । इन्हीं सब तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. विद्वान वकील प्रफोर्मा रेस्पो0 ने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने एकपक्षीय आदेश पारित किया है । अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है । अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस संबधं में आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 692 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया । विवादित आराजी से रेस्पो0 संख्या 1 /वादी का कोई संबधं नहीं है केवल मात्र परेशान करने की नियत से वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19.6.2019 के अनुसार प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित । अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 17 के अभिभाषक अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित । अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 17 के अभिभाषक ने इस तिथि को जवाब हेतु समय चाहा जिस पर अधी0न्याया0 ने आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से जवाब पेश करने हेतु पाबंद किया । तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24.6.2019 को नियत की गई । इसके पश्चात् आगामी नियत दिनांक 24.6.2019 एवं 25. 6.2019 को पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्यो में व्यस्त रहने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.6.2019 नियत की गई तथा इसी दिनांक को प्रकरण को निर्णित किया गया है । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशाकिओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अपीलांट का यह भी स्पष्ट कथन रहा है कि अपीलांट विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तीन मुख्य घटक

यथा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

8. अतः अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर, मुख्यालय, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.6.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 17.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर